International Journal of Humanities and Social Science Research
ISSN: 2455-2070
Impact Factor: RJIF 5.22
www.socialsciencejournal.in
Volume 4; Issue 5; September 2018; Page No. 62-67

सतना जिला का समन्वित ग्रामीण विकास हेतु विविध योजनाओं का भौगोलिक अध्ययन

प्रदीप सिंह
शोधार्थी, भूगोल विभाग, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा, मध्य प्रदेश, भारत।

सारांश
आर्थिक तथा सामाजिक कार्यकलापों का इस प्रकार से विकेन्द्रीकरण किया जाय तथा उन्हें इस प्रकार स्थापित किया जाय कि सम्पूर्ण क्षेत्र की प्रगति हो सके। इस प्रकार विकास का ढांचा खड़ा करने से विकासशील आर्थिक नियोजन को सुदृढ़ आधार प्राप्त हो सकेगा। सामाजिक, आर्थिक उन्नयन एवं संरचनात्मक परिवर्तन हेतु पूर्व नियोजन की प्रक्रिया एक अभिनव उपागम है जो मूलतः समाजवादी राष्ट्रों की देन है। समन्वित ग्रामीण क्षेत्रीय विकास की अवधारणा वर्तमान शताब्दी के सातवें दशक की देन है। विकास केन्द्र के सिद्धान्त का आशय ग्रामीण विकास के लिये सामाजिक आर्थिक कार्यों के केन्द्रित, विकेन्द्रीकरण के माध्यम स्वरूप योजना में संतुलित विधितंत्र के प्रयोग से है जो कार्यों के अर्न्तसंबंधित स्थिति की व्याख्या एवं उपयुक्त अवस्थिति के निर्धारण पर आधारित है।

मूल शब्द : सतना जिला, आर्थिक, सामाजिक, योजनाएँ।

प्रस्तावना
विकास केन्द्रों का निर्धारण आधारभूत योजना इकाइयों के बढ़ते हुये पद क्रम के आधार पर किया गया है। जिस प्रकार किसी विकास केन्द्र की उन्नति उसके प्रदेश में स्थित विविध ग्रामों के विकास पर निर्भर करती है। ठीक उसी प्रकार जिला का एकीकृत विकास की विविध विकास केन्द्रों पर ही निर्भर करता है। इस प्रकार विकास केन्द्र जिले के सर्वांगीण विकास के महत्वपूर्ण सोपान है, जिसके आधार पर जिले के भावी विकास की योजनाएँ बनायी जाती है।
आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं के निर्माण तथा संविधान की 11वीं अनुसूची में सम्मिलित मामलों सहित आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय की योजनाओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में विशिष्ट प्रावधान कर सकेंगे।[1] इसी उद्देश्य से संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है जिसमें उन विषयों का वर्णन है, जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है।[2] ये विषय निम्नलिखित हैं –

1. कृषि एवं कृषि विस्तार
2. भूमि सुधार चकबन्दी, भूमि अनुरक्षण
3. लघु सिंचाई, जल प्रबन्ध और जल आच्छादन
4. पशुपालन, दुग्ध व मुर्गी पालन
5. मत्स्य उद्योग
6. लघु वन उत्पाद
7. सामाजिक वनोद्योग और कार्यवनोद्योग
8. लघु उद्योग जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी है
9. खादी ग्राम और कुटीर उद्योग
10. ग्रामीण आवासन
11. पेयजल
12. ईधन
13. सड़कें, पुलिया, पुल नौघाट, जल मार्ग तथा संचार के अन्य साधन
14. ग्रामीण विद्युतीकरण
15. गैर पारस्परिक ऊर्जा स्रोत
16. गरीब उपशमन कार्यक्रम
17. शिक्षा, जिसमें प्राइमरी और माध्यमिक भी है
18. तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा
19. प्रौढ़ और औपचारिक शिक्षा
20. पुस्तकालय
21. सांस्कृतिक क्रियाकलाप
22. बाजार और मेले
23. स्वास्थ्य और स्वच्छता जिसमें अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और औषधालय भी है
24. स्त्री और बाल विकास
25. परिवार कल्याण।
26. समाज कल्याण, जिसमें विकलांग और मानसिक रूप से अविकसित भी है।
27. जनता के कमजोर वर्गों का विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण
28. लोक वितरण प्रणाली

शोध अध्ययन क्षेत्र
शोध अध्ययन में म.प्र. के सतना जिला को शोध केन्द्र बिन्दु मानकर अध्ययन किया गया। सतना जिला मध्यप्रदेश में स्थिति है। सतना जिले में 10 तहसीले हैं, नाम इस प्रकार है – मझगवां, रघुराज नगर, रामपुर बाघेलान, नागौद, उचेहरा, अमरपाटन, रामनगर, मैहर, बिरसिंहपुर, कोटर तहसील स्थित है। सतना जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 7424 वर्ग कि.मी. है। 2011 की जनगणना के अनुसार आबाद ग्राम 1816 है। ग्राम पंचायतों की संख्या 704 है। जिला सतना में कुल जनसंख्या 1371781 है।
सतना जिला मध्यप्रदेश के उत्तर में स्थित है जहां से उत्तर प्रदेश की दक्षिणी सीमा प्रारंभ होती है। सतना जिला के सीमावर्ती जिलों की स्थिति इस प्रकार है इसके उत्तर में उ.प्र. का बांदा जिला, दक्षिण में प्रदेश के कटनी और शहडोल जिला पूर्व में रीवा जिला तथा पश्चिम में पन्ना जिला स्थित है। रीवा जिला प्रपातों के नाम से प्रसिद्ध है यहां चचाई, क्योटी, पुर्वा, बहुती जल प्रपात स्थित है।[3] सतना जिला का अक्षांशी विस्तार 23.58^0 से 25.12^0 उत्तरी अक्षांश तथा 80.20^0 से 81.23^0 पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। इसकी समुद्र जल से ऊचाई 317 मी. है।

योजनाओं का संचालन

1. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का उद्देश्य – गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के स्वरोजगार के लिए ऋण और अनुदान उपलब्ध करवाकर उन्हें गरीबी रेखा के ऊपर लाना। सहायता प्राप्त प्रत्येक लोगों को तीन वर्षों में गरीबी रेखा से ऊपर लाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था।

योजना का स्वरूप एवं कार्य क्षेत्र – योजना में उपलब्ध राशि के बीस प्रतिशत अधोसंरचना विकास कार्यों के लिए, दस प्रतिशत प्रशिक्षण के लिए है।[4] दस प्रतिशत रिवाल्विंग फण्ड और एक प्रतिशत विलय फण्ड के लिए निर्धारित है। योजना में सामान्य श्रेणी के हितग्राहियों को रुपये 7,500/–, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को 10,000/– और समूह को अधिकतम 2,25,000/– (दो लाख पचीस हजार) की अनुदान निर्धारित है।

1. सिंचाई परियोजना के लिए अनुदान की कोई वित्तीय सीमा निर्धारित नहीं है।
2. योजना में 30 प्रतिशत गरीबों को अगले पांच वर्षों में लाभान्वित किया जाना है।
3. गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले चयनित परिवार इस योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए पात्र हैं।
4. लाभान्वित हितग्राहियों में कम से कम पचास प्रतिशत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के चालीस प्रतिशत महिलाओं और तीन प्रतिशत निःशक्त जन होंगे और प्रत्येक विकासखण्ड में गठित समूहों में से पचास प्रतिशत समूह केवल महिलाओं के होंगे।

हितग्राही चयन प्रक्रिया

1. स्वरोजगार पाने वाले का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाता है।
2. चयनित हितग्राहियों को मूलभूत और तकनीकी प्रशिक्षण दिया जायेगा।
3. योजना के अन्तर्गत प्रत्येक विकासखण्ड में उपलबध संसाधन स्थानीय कौशल और बाजार की उपलब्धता दृष्टिगत रखते हुए चार पांच मुख्य गतिविधियों का चयन किया जायेगा।

योजना का क्रियान्वयन – योजना के क्रियान्वयन में ग्रुप क्लस्टर प्रोजेक्ट एप्रोच अपनाई जाती है। योजना के अन्तर्गत अनुदान पात्रतानुसार उपलब्ध कराया जा सकता है। आई.आर.डी., ट्राईसेम, उवाकर उन्नति टूल किट प्रदाय कार्यक्रम, मेना कल्याण तथा जीवनधारा योजनाओं से सम्बन्धित कर भारत सरकार ने यह नई स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 01.04.1999 से प्रभावशील है।

1. योजना के क्रियान्वयन में ग्रुप/क्लस्टर प्रोजेक्ट प्रयोग अपनाना।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ी संख्या में छोटे–छोटे उद्योग स्थापित कर गरीबी उन्मूलन करना इस योजना का लक्ष्य है।
3. योजना के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले चयनित परिवार की सहायता हेतु पात्र।
4. योजनान्तर्गत उपलब्ध राशि में से अधिकतम 20 प्रतिशत अधोसंरचना विकास कार्यों हेतु एवं शेष राशि आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण रिवाल्विंग फण्ड व अनुदान वितरण हेतु व्यय की जा सकती है।
5. सहायता प्राप्त प्रत्येक परिवार को उपर्युक्त अवधि में गरीबी रेखा से ऊपर लाना इस योजना का उद्देश्य है।
6. योजना सामान्य श्रेणी हितग्राहियों को परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 1.25 लाख अनुदान सीमा निर्धारित है। सिंचाई की परियोजना के लिए अनुदान की कोई अधिकतम वित्तीय सीमा निर्धारित नहीं है।
7. योजना अन्तर्गत अनुदान पात्रता अनुदान उपलब्ध कराया जा सकता है।
8. योजना अन्तर्गत सहायता हेतु चयनित हितग्राहियों को मूलभूत और तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है।
9. लाभान्वित हितग्राहियों में कम से कम 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति 40 प्रतिशत, महिलाएं और विकलांग 2 प्रतिशत होंगे।
10. प्रत्येक विकासखण्ड में गठित समूहों में 50 प्रतिशत समूह केवल महिलाएँ के रूप होंगे।

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना – भारत सरकार द्वारा 2004–2005 में प्रथम एवं द्वितीय स्रोतों को समाहित करते हुए केन्द्र प्रवर्तित संयुक्त योजना सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना अप्रैल 2004 से क्रियान्वित किये जाने का निर्णय लिया है। भारत सरकार द्वारा खाद्यान्न निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। इस योजना में मुख्यतः पिछड़े वर्गों के व्यक्ति एवं निर्धन परिवारों को रोजगार सुविधाएँ उपलब्ध कराने का प्रावधान है एवं सरकार द्वारा रोजगार के दिवस भी निर्धारित किये गये हैं।

योजना के उद्देश्य

1. ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराना, खाद्यान्न सुरक्षा एवं पोषक स्तर में सुधार लाना।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी सामुदायिक सामाजिक एवं आर्थिक परिसम्पत्तियों का सृजन तथा अधोसंरना का विकास है।

लक्षित समूह – ग्रामीण निर्धन परिवार एवं अनुकूल श्रमिक अत्याधिक गरीब महिला अर्थात आर्थिक एवं जोखिम पूर्ण व्यवसाय से निकाले गए बच्चों के माता–पिता को रोजगार मूल कार्यों में प्राथमिकता। महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत रोजगार के अवसर सुरक्षित रखे जाने का प्रावधान।[5]

मुख्य बिन्दु – योजनान्तर्गत प्राप्त राशि का पुर्नवहन निम्नानुसार किया जाएगा –

1. योजनान्तर्गत कुल उपलब्ध राशि में से 30 प्रतिशत जनपद पंचायतों को, 20 प्रतिशत जिला पंचायतों को तथा ग्राम पंचायत को 30 प्रतिशत राशि पूर्व में निर्धारित आंकड़ों के अनुसार आवंटित की जाएगी।
2. योजना के निर्देशानुसार प्रस्तावित कार्य वार्षिक योजना सम्मिलित कर सम्बन्धित योजना से खाद्यान्न आवंटित किया जायेगा।
3. योजनान्तर्गत प्राप्त होने वाली राशि ग्राम पंचायतों के माध्यम से ग्राम सभाओं को जनसंख्या के आधार पर प्राप्त होगी।
4. प्रत्येक ग्राम पंचायतों को आवश्यक 20,000/– नकद एवं उतनी ही राशि का खाद्यान्न अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।
5. ग्राम सभाओं को उपलब्ध की गई राशि का 50 प्रतिशत राशि अनुसूचित जाति के अनुदान के बसाहट क्षेत्र में अधोसंरचना विकास पर व्यय किया जाना अनिवार्य है। शेष राशि अन्य कार्य पर व्यय की जा सकती है।

6. जनपद पंचायतें उपलब्ध राशि में 22.5 प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवारों की निर्धारित भूमि के विकास कार्यों पर एवं आर्थिक सामाजिक परिसम्पत्तियाँ उपलब्ध कराने हेतु व्यय किया जा सकेगा। 22.5 प्रतिशत राशि न्यूनतम है, इससे अधिक राशि व्यय की जा सकती है।
7. अनारक्षित 22.5 प्रतिशत राशि में से गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाली अजा/अजजा हितग्राहियों को भू–सुधार, कुआँ, डबरा–डबरी, स्वरोजगार योजनान्तर्गत कार्य सेड अजा/अजजा की निजी भूमि पर सामाजिक वानिकी की तहत जलाऊ लकड़ी, चारा, फलोद्यान, फूलों की खेती, मछली के लिए आधारभूत सहयोग एवं अन्य आय आर्जित करने वाली खेती आदि कार्यों के लिए दे दिये जाते हैं एवं साथ ही हितग्राहियों का चयन भी किया जायेगा।
8. हितग्राहियों के चयन का कार्य ग्राम सभाओं द्वारा किया जावेगा। चयनित हितग्राहियों के सूची ग्राम पंचायतों द्वारा जनपद पंचायतों को एवं जिला पंचायत को भेजेगी, जिसका समावेश जिला एवं जनपद पंचायत द्वारा अपनी वार्षिक कार्ययोजना में भी किया जावेगा।
9. वार्षिक योजना में गतवर्ष के अपूर्ण प्रगति पर किये गये कार्य तथा योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले नये कार्य होंगे एवं ऐसे कार्य को शामिल किया जाना चाहिए जिसे अधिकतम वर्षों में पूर्ण किया जा सके।
10. योजनान्तर्गत लिए जाने वाले समस्त कार्य रोजगारमूलक होने चाहिए।
11. जिन कार्यों में सामग्री सीमेंट, लोहा आदि का बड़ा हिस्सा हो उन्हें स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए। जब तक सामग्री अतिरिक्त लागत अन्य क्षेत्र के कार्यक्रम की निधि से उपलब्ध ना करायी जाय।
12. योजना का क्रियान्वयन पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किया जायेगा।
13. ठेकेदारी प्रथा पूर्णतः प्रतिबंधित है।
14. प्रति 5 किलोग्राम खाद्यान्न और नकद मजदूरी की न्यूनतम 25 प्रतिशत नगद भुगतान मजदूरों के भाग पर 5 किलोग्राम से अधिक खाद्यान्न देने का प्रावधान।
15. प्रत्येक कार्य हेतु मस्टर रोल बनाया जाना चाहिए जिसमें श्रमिकों की सोच, उनका विवरण अनुसूचित जाति/जनजाति तथा पुरुष महिला श्रमिकों का विवरण रखना चाहिए। मस्टर रोल के आधार पर ही ग्रामसभा, ग्राम पंचायत, जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा रोजगार का संधारण किया जावे।
16. प्रत्येक ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत, निर्मित परिसम्पत्तियों का ग्राम पंचायत वार सम्पूर्ण लेखा रखा जावें जिसमें कार्ड प्रारम्भ होने की विधि, कार्ड की लागत, पूर्ण होने की तिथि, कार्य से उपार्जित लाना, अर्जित रोजगार का पूर्ण विवरण खाद्यान्न स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो।
17. प्रत्येक कार्य स्थल पर योजना एवं कार्य सम्बन्धी विवरण दर्शाने वाले नैतिक बोर्ड भी लगाये जावें।
18. कार्यों का अंकेक्षण कराने से सम्बन्धित प्रत्येक कार्य का लेखा संधारित किया जावे।

योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया

1. भारत सरकार ग्रामीण मंत्रालय द्वारा नगद राशि, खाद्यान्न का प्रावधान समय–समय पर निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप किस्तों में जारी की जावेगी। प्रथम किस्त वित्तीय वर्ष से प्रारम्भ में उपलब्ध करायी जायेगी। द्वितीय जिला पंचायत द्वारा उपलब्ध राशि का 60 प्रतिशत उपयोग पश्चात् निर्धारित प्रपत्र में मान किये जाने पर उपलब्ध करायी जायेगी।
2. भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास 5 प्रतिशत राशि विशेष आपदाग्रस्त क्षेत्र हेतु आरक्षित रही जिसे आवश्यकता पड़ने पर जिला पंचायत अतिरिक्त आवंटन की मात्रा भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय से कर सकेगी/इस राशि के बचत होने पर बेहतर प्रगति वाले जिलों को भारत सरकार द्वारा आवंटित की जावेगी।
3. जिला पंचायत केन्द्र का आवंटन प्राप्त होने के एक सप्ताह के अंदर राज्यांश सहित आहरित कर 15 दिन के अन्दर जनपद एवं ग्राम पंचायतों को पुनः आवंटन करेगी। ग्राम पंचायत 8 दिन के अन्दर प्राप्त आवंटन नगर एवं खाद्यान्न को ग्राम सभा को पुर्नआवंटित करेगी।
4. प्रत्येक जिला पंचायत जनपद पंचायत का एवं ग्राम पंचायत द्वारा गत वर्ष आवंटित राशि के 25 प्रतिशत लागत के कार्यों को शामिल करते हुए स्वतंत्रतापूर्वक वार्षिक कार्य योजना बनाएंगे।
5. योजना अन्तर्गत कोई भी कार्य तब तक स्वीकृत नहीं किया जायेगा जब तक कि वह वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित न हो।

इन्दिरा आवास योजना

उद्देश्य – यह केन्द्र सरकार की योजना है। इसका क्रियान्वयन वर्ष 1985–86 से किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति तथा बंधुआ मजदूरों को आवास सुविधा उपलब्ध कराना है। वर्ष 1993–94 से इसके कार्य क्षेत्र में गैर अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए इन्दिरा आवास योजना के आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ से की गयी जिसमें की आवास का प्रतिशत 40 से अधिक न हो। 3 प्रतिशत आवास ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबी रेखा से नीचे विकलांग एवं मंद बुद्धि व्यक्तियों के लिए आरक्षित किये गये हैं। योजना के लिए भारत सरकार 75 एवं राज्य सरकार 25 प्रतिशत राशि उपलब्ध कराती है।

योजना का स्वरूप और कार्यक्षेत्र – केन्द्र प्रवर्तित इस योजना के लिए भारत सरकार 75 प्रतिशत और राज्य सरकार 25 प्रतिशत राशि उपलब्ध कराती है। जिलेवार राशि निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। आवासों का निर्माण स्वयं हितग्राही ग्रामपंचायत द्वारा कराया जाता है। आवास का कुल क्षेत्र 20 वर्गमीटर होना आवश्यक है। योजना का 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, 40 प्रतिशत सामान्य वर्ग और 3 प्रतिशत की राशि निःशक्तजनों को उपलब्ध कराई जाती है।

1. इन्दिरा आवास परिवार के पुरुष तथा महिला के संयुक्त नाम से आवंटित आवास के साथ स्वच्छ शौचालय और धुंआ रहित चूल्हे का निर्माण भी अनिवार्य है।
2. इस योजना में अधोसंरचनात्मक कार्यों जैसे नलकूपों का खनन, विद्युतीकरण, नाली निर्माण, सड़क निर्माण के लिए प्रति आवास 615 हजार रुपये राशि उपलब्ध करवाई जाती है। यदि आवास समूह में न हो तो यह राशि हितग्राही को देने का प्रावधान है।
3. योजना सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में लागू है।

पात्र हितग्राही – ग्रामीण क्षेत्रों के आवासहीन लोग।

लाभार्थियों का चयन – लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा के द्वारा निम्नानुसार क्रम के आधार पर किया जाता है –

1. मुक्त बंधुआ मजदूर
2. अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवार जिनकी मुखिया विधवा महिला है या जो अनुसूचित जाति/जनजाति परिवार जो प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित है।
3. अन्य बी.पी.एल. परिवार
4. विकलांग एवं मंद बुद्धि व्यक्ति
5. एक्स सर्विस मैन एवं अन्य सैनिक बलों के सेवानिवृत्त सदस्य

योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया – योजना का क्रियान्वयन पंचायत एवं संस्थाओं द्वारा किया जाता है। भारत सरकार से प्राप्त जिलेवार राशि और उसमें राज्यांश मिलाकर निर्धारित भौतिक लक्ष्यों के अनुसार जिला पंचायत में उपलब्ध करवायी जाती है। जिला पंचायत जिला की ग्राम पंचायत को पंचायत द्वारा नियोजित सूची के आधार पर जनसंख्या के अनुपात में राशि उपलब्ध कराती है। हितग्राहियों को राशि पंचायत द्वारा किश्तों में दी जाती है जिससे वह आवास का निर्माण स्वयं करता है।

आवास निर्माण की अधिकतम सीमा – भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वर्ष 2004–05 से नवीन आवास निर्माण की लागत स्वयं 25,000/– तक एवं आवास उन्नयन हेतु लागत 10,000/– निर्धारित किया है, जिससे अधिक से अधिक आवासीय परिवार लाभान्वित हो सकेंगे। कच्चे आवासों को पक्के आवास में परिवर्तन हेतु 10,000/– तक राशि उपलब्ध कराई जाती है। आवास निर्माण में स्वच्छ शौचालय एवं धुंआ रहित चूल्हे के निर्माण का प्रावधान है। समग्र स्वच्छता अन्तर्गत शौचालय का निर्माण किया जा सकता है। यदि हितग्राही आवास में शौचालय और चूल्हा निर्मित नहीं कर पाता है। शौचालय निर्माण की राशि 2,600/– एवं चूल्हा निर्माण की राशि 1,000/– प्राप्त योजना की मार्गदर्शिका 2004 के अनुसार अधोसंरचना की राशि को आवास की लागत में शामिल किया गया है।

योजना का क्रियान्वयन – इस योजना का क्रियान्वयन प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के मध्य से किया जाता है। भारत सरकार द्वारा जिलेवार द्वितीय प्रावधान एवं भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण कर सीधे जिले की राशि उपलब्ध करायी जाती है। जिला पंचायत द्वारा जिले की ग्राम पंचायत में आवास की कमी तथा अनुसूचित जाति/जनजाति की संख्या के आधार पर निर्धारित भौतिक लक्ष्य के अनुसार राशि उपलब्ध कराई जाती है तथा ग्राम पंचायत की ग्राम सभा द्वारा लक्ष्य अनुदान चयनित हितग्राहियों को कार्य की प्रगति के आधार पर बस्तियों में आवास हेतु राशि उपलब्ध कराई जाती है।

पंचायत संस्थाओं की भूमिका – योजना का सम्पूर्ण क्रियान्वयन पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ही होता है।

सम्पर्क – स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत के सरपंच और जिला स्तर पर मुख्य कार्यालय अधिकारी जिला पंचायत।

प्रधानमंत्री ग्रामोदय (ग्रामीण आवास योजना) – यह योजना पूर्णतः क्षेत्रीय केन्द्र प्रवर्तित योजना है। इस योजना में एक प्रतिरूप राशि भारत सरकार योजना आयोग द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। योजना का क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2001–02 से पूरे प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले ग्रामीण आवास का नवीन आवास निर्माण हेतु सहायता राशि उपलब्ध करायी जा रही है। जिन्हें इन्दिरा आवास योजना अन्तर्गत लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। इस योजना का क्रियान्वयन इन्दिरा आवास योजना के निर्देशानुसार किया जा रहा है।

सतना जिला ग्रामीण विकास अभिकरण योजना – इस योजना का प्रारम्भ होने के पूर्व जिला ग्रामीण अभिकरण के होने वाले प्रशासकीय कार्य की केन्द्र प्रवर्तित ग्रामीण विकास की प्रत्येक योजनाओं में से कुछ राशि आहरित कर पूर्ति की जाती थी। योजना की संरचना में वृद्धि होने पर यह पाया गया कि कुछ योजनाओं से प्रशासकीय व्यय में अंशदान दिया जा रहा है तथा कुछ में नहीं अतएव ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं को प्रभावी रूप से संचालित करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल सन् 1999 से जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन योजना प्रारंभ की गई। इस योजना में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा 75.25 के अनुपात में व्यय भार दहन करने का प्रावधान रखा गया है। शीर्ष 2501 के राज्य स्तर पर तथा त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के अनुमति मान संख्या 80, मुख्य शीर्ष 2501 के अनुकूल योजना क्रमांक 8744 में जिला स्तर हेतु किया जाता है एवं केन्द्र की राशि प्राप्त होने पर जिला पुस्तिका से जिला पंचायतों द्वारा राज्यांश की राशि का आहरण किया जाता है। जिलों को प्राप्त केन्द्र एवं राज्यांश की कुल राशि की 10 प्रतिशत राशि से चालान से उपभोग व्यय हेतु केन्द्र सरकार से जिला पंचायतों को जिला ग्रामीण अभिकरण योजना में दिसम्बर 2014 तक प्रथम किस्त तथा किस्त के रूप में राशि 1150206 लाख प्रदान किया गया।

पंचायत संस्थाओं की भूमिका – सामुदायिक सुरक्षा गठन स्वीकृत के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत और शहरी क्षेत्र में नगरीय निकायों को दिये गये हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की यथासंभव आवश्यक जांच करवाकर अपने अभिमत सहित 7 दिवस के अन्दर जनपद पंचायत को स्वीकृति के बिन्दु भेजे जाते हैं।

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना –

उद्देश्य – गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार के मुखिया/प्रारूप जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक 65 से कम है। उसकी मृत्यु होने पर आश्रितों को एक मुश्त आर्थिक सहायता प्रदान करना।

योजना का स्वरूप – इस योजना में हितग्राही के प्राकृतिक रूप से मृत्यु होने पर रुपये 15,000/– अथवा दुर्घटना व मृत्यु होने पर 10,000/– की सहायता एक मुश्त स्वीकृति की जाती है। यह केन्द्रीय योजना है। इसके क्रियान्वयन के लिए शत प्रतिशत सहायता भारत सरकार से प्राप्त होती है। योजना सम्पूर्ण देश में लागू है।

पात्र हितग्राही – इस योजना में हितग्राही निम्नांकित परिवार सहायता का पात्र हो –

1. परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाला हो।
2. परिवार से ऐसे सदस्य की मृत्यु हो जाये जिसके कमाई से अधिकांशतः परिवार का गुजारा चलता हो।
3. मृतक की उम्र 18 से 65 वर्ष के बीच हो।

हितग्राही चयन प्रक्रिया – ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत, वन्य शहरी क्षेत्र में या नगरीय निकाय के वार्ड मेम्बर को यह आश्वासन दिया गया है कि वे जनता मृत्यु पंजी के आधार पर या मृत्यु की सूचना मिलते ही सहायता प्रारूप में आवेदन–पत्र भरकर प्राप्त कर लें किन्तु ग्राम पंचायत नगरीय निकाय के वार्ड मेम्बर द्वारा सम्पर्क न करने की स्थिति में भी मृतक परिवार द्वारा आवेदन दिया जा सकता है।

योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया

1. ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत तथा नगरीय क्षेत्र में नगरीय निकायों से निःशुल्क आवेदन पत्र प्राप्त किये जा सकते हैं।
2. आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद ग्राम पंचायत नगरीय निकाय द्वारा परिवार, परिवार की आय और नए मुखिया के बारे में तस्दीक और आवश्यकता जांच कराए। ग्राम पंचायत द्वारा 7 दिवस के जांच पूर्ण कर आवेदन पत्र अपनी अनुशंसा सहित जनपद पंचायत को तुरन्त भेजा जाता है।
3. परिवार सहायता के स्वीकृत का आदेश जारी होने के तत्काल बाद जनपद पंचायत नगरीय निकाय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एकाउन्ट पेशी आर्डर चेक द्वारा आवेदक को राशि भुगतान करते हैं। यह चेक आवेदक के पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा जाता है। अपवाद स्वरूप ऐसा ग्रामीण क्षेत्र जहाँ 10 किलोमीटर की दूरी के अन्दर कोई भी बैंक शाखा नहीं है। वहाँ आवश्यकतानुसार जनपद पंचायत द्वारा पोस्ट आफिस के बचत खाते के माध्यम से भी राशि का भुगतान किया जा सकता है।

बाधा निवारण की व्यवस्था – परिवार समस्या स्वीकृति के अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र में जन पंचायतों को और बाहरी क्षेत्र में नगरीय स्थानीय निकायों को दिये गए हैं। किन्तु जनपद पंचायत नगरीय निकाय के आदेश के विस्तार आवेदक सम्बन्धित ग्राम पंचायत अथवा मामले में हित रखने वाले अन्य किसी व्यक्ति द्वारा अभ्यावेदन सम्बन्धित अनुविभागीय अधिकारी को प्रस्तुत किया जा सकता है। अनुविभागीय अधिकारी जांच के बाद यदि यह पाते हैं कि पात्रता के बावजूद सहायता स्वीकृत नहीं की गई है तो वे स्वीकृति जारी कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि यह पाया जाता है कि अन्यत्र सहायता स्वीकृति की गई है, वे स्वीकृति को निरस्त कर सकते हैं।

पंचायत संस्थाओं की भूमिका – परिवार सहायता स्वीकृत के अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत और शहरी क्षेत्र में नगरीय निकायों को दिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायतों से प्राप्त सभी आवेदन पत्रों यथा आवश्यक जांच कराकर अपने अभिमत सहित 7 दिवस के अन्दर आवेदन पत्र पंचायत को भेजती है।

सम्पर्क – ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, नगरीय स्थानीय अनुविभागीय अधिकारी, जिला उपसंचालक पंचायत और समाज सेवा।

विकलांग छात्रवृत्ति

उद्देश्य – प्रदेश के विकलांग छात्रों को शिक्षण–प्रशिक्षण के क्षेत्र में आर्थिक रूप से मदद देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करना।

घोषण का स्वरूप और कार्यक्षेत्र – प्रदेश के सभी वर्ग ऐसे विकलांग छात्र–छात्राएं जो पूर्व प्राथमिक शाला से आगे स्नातकोत्तर व्यावसायिक स्नातक परीक्षा में नियमित रूप से निम्नानुसार विकलांग छात्रवृत्ति स्वीकृति की जाती है।

(1) राज्य छात्रवृत्ति –

प्राथमिक स्तर रुपये 25 प्रतिमाह
माध्यमिक स्तर रुपये 30 प्रतिमाह
उच्चतर माध्यमिक 35 प्रतिमाह

(2) पूर्वी केन्द्रीय छात्रवृत्ति –

छात्रावासी	दैनिक छात्रवृत्ति
कक्षा 9 से 10, 12	1885 रुपये
स्नातक	125 रुपये 180 रुपये

सतना जिला में विकास योजना से लाभ प्राप्त हितग्राहियों का क्षेत्रीय साक्षात्कार पर आधारित विवरण – विकास हेतु संचालित योजनाओं एवं हितग्राहियों की प्रवृत्ति की जानकारी प्राप्त करने के लिये विभिन्न ग्रामों के 100 परिवारों का साक्षात्कार लिया गया। साक्षात्कार से प्राप्त जानकारी का विश्लेषण करते हुये योजनाओं के बारे में जानकारी एवं लाभ प्राप्त के स्वरूप की प्रवृत्ति निम्नानुसार पाई गई –

तालिका 1: जिला सतना विकास योजनाओं का प्रारूप, वर्ष 2014–2015 (साक्षात्कार सूची में शामिल साक्षात्कार संख्या 100)

क्र.	मद विवरण	आवेदन संख्या	लाभार्थी संख्या
1	शिक्षा विकास की योजनाएं	50	20
2	स्वास्थ्य सेवाएं	60	35
3	कृषि योजनाएं	24	12
4	ट्रैक्टर ट्राली	01	निरंक
5	बकरी पालन	18	08
6	कृषि उत्पादक	निरंक	निरंक
7	मुर्गीपालन	32	18
8	सुअर पालन	19	08
9	लघु वनोपज क्रयविक्रय	निरंक	निरंक
10	डेयरी फारमिंग	निरंक	निरंक
11	नरसरी एवं वर्मीकल्चर	निरंक	निरंक
12	यातायात की योजना	निरंक	निरंक
13	मिनी ट्रक योजना	निरंक	निरंक
14	जीप टैक्सी योजना	निरंक	निरंक
15	डम्फर योजना	निरंक	निरंक
16	मिनी बस योजना	निरंक	निरंक
17	आटो रिक्शा योजना	22	06
18	ट्रक योजना	निरंक	निरंक
19	बस योजना	निरंक	निरंक
20	सायकल–रिक्शा	23	13
21	फोटोकॉपियर	05	02
22	जनरल स्टोर	14	03
23	मिनी राइस मिल	08	02
24	टेन्ट हाउस	10	03
25	इन्टरनेट योजना	08	01
26	मेडिकल स्टोर	07	02
27	पान दुकान	07	02
28	ईंटा भट्टा	निरंक	निरंक
29	झाड़ू निर्माण	05	01
30	बाँस टोकरी निर्माण	04	04

स्रोत – क्षेत्रीय सर्वेक्षण पर आधारित।

निष्कर्ष

सामाजिक आर्थिक विकास के लिये केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएं हैं किन्तु योजनाओं से लाभ प्राप्त करने के लिये आवेदन 2014–2015 अवधि में जो किये गये हैं, उससे यह सष्ट होता है कि शिक्षा विकास एवं स्वास्थ्य से सम्बन्धित योजनाओं के अतिरिक्त अन्य योजनाओं को लाभ प्राप्त करने की उत्सुकता नहीं है। जिन प्रमुख योजनाओं का लाभ लिया गया है, उनमें शिक्षा विकास से जुड़ी हुई समग्र योजनाएँ, स्वास्थ्य से सम्बन्धित योजनाएं, कृषि से सम्बन्धित योजनाएँ, पशुपालन विशेषतः सुअर पालन, मुर्गीपालन, बकरी पालन की योजनाएँ प्रमुख हैं। इस प्रकार वर्तमान एवं भावी परिस्थितियों के अन्तर्गत जिले में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर सतना जिले के विकास हेतु सर्वाधिक उपयुक्त योजना प्रस्तुत करता है। जिले में सर्वांगीण विकास हेतु उत्पादक विधियों के क्रियान्वयन का प्रयास किया गया है।

संदर्भ

1. कुरूक्षेत्र अगस्त 2008, डॉ. आनन्द निर्मल कुमार, पृष्ठ 24
2. माधव चरण – भारत को शिक्षा कैसे इन योजना, अंक 5, अभाव, 2007, पृष्ठ 64–71.
3. जिला विकास पुस्तक, 2013, जिला सतना (जिला योजना एवं सांख्यकी कार्यालय, सतना)।
4. योजना अंक, वर्ष 2008, अंक 1, 6, 7, वर्ष 2009, अंक 2, 3, 6, 7, 10, वर्ष 2010, अंक 3, 7 एवं 12, वर्ष 2011, अंक 6 एवं 7.
5. सिंह कुंवरपाल, पंचायतीराज को राष्ट्रीय स्वरूप देने की आवश्यकता, कुरुक्षेत्र, पृष्ठ 21.